

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखिये)

कार्यालय कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की
धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत

नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा
आशयित है अर्थात् :-

जिला	तहसील	ग्राम/नगर	क्षेत्रफल (हे०मे)	लोक प्रयोजन का विवरण
रायगढ़	तमनार	हिंझर	0.744	लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण द्वारा मिलूपारा, तोलगे मार्ग में हिंझर नाला पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुँच मार्ग निर्माण

उपरोक्त उल्लिखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जनसुनवाई दिनांक 30 जुलाई, 2021 को शाम 2.00 बजे से 4.00 बजे स्थान ग्राम पंचायत भवन हिंझर पर नियत की गई है।

प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है:-

(1) लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण:-

हिंझर नाला पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुँच मार्ग निर्माण कराया जावेगा।

(2) प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या:-

11

(3) अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या :-

निरंक

(4) प्रभावित क्षेत्र में निजी मकान तथा अन्य परिसंपत्तियों की अनुमानित संख्या :-

06 वृक्ष

(5) प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसंपत्तियों की अनुमानित संख्या:-

निरंक

(6) क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है-

हां

(7) क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है:-

हां

(8) परियोजना की कुल लागत:-

300.72 लाख (हिंझर नाला में पुल एवं पहुँच मार्ग निर्माण)

(9) परियोजना से होने वाला लाभ :-

जन सुविधा के लिये आवागमन सुविधा (मूल्य लगभग 5,00,000-00 रूपये)

(10) प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाली संभावित व्यय:-

निरंक

(11) परियोजना द्वारा प्रभावित अन्य व्यय घटांक:-

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी।

(भीम सिंह)
कलेक्टर

रायगढ़ (छ.प्र.)